झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

–: अधिसूचना :–

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना अन्तर्गत खरीफ फसल मौसम 2023–24 के लिए अधिसूचित फसल धान और मक्का संबंधी किसानों द्वारा आवेदन समर्पित करने की पूर्व से निर्धारित अंतिम तिथि को विस्तारित करते हुए दिनांक–30.11.2023 तक निर्धारित की जाती है।

02. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–03/बजट सह0 (JRFRY)-08/20211394**/राँची, दिनांक–**18/10/2023

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची/सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची/निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, झारखण्ड, राँची/SIO, NIC, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।